



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 224] नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 6, 1986/आश्विन 14, 1988
NO. 224] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 6, 1986/ASVINA 14, 1988

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
separate compilation

परिवहन मंत्रालय

(जल-भूतल परिवहन विभाग)

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर, 1986

संकल्प

सं. टी. डब्ल्यू./एम. पी. आर. सी-16/85:—इस मंत्रालय के संकल्प संख्या टी डब्ल्यू/
एम. पी. आर. सी-16/85, दिनांक 28 जनवरी, 1986 के क्रम में, जिसके तहत महापसन सुधार
समिति की कार्यविधि बढ़ाई गई थी, भारत सरकार ने उक्त समिति की कार्यविधि को 30
नवम्बर, 1986 तक और आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है जिन तारीख तक उक्त समिति अपनी
रिपोर्टें पेश कर देगी।

योगेश्वर नारायण, संयुक्त सचिव (पत्रत)

MINISTRY OF TRANSPORT

(Department of Surface Transport)

(Transport Wing)

New Delhi, the 6th October, 1986

RESOLUTION

No. TW|MPRC-16|85.—In continuation of this Ministry's Resolution No. TW|MPRC-16|85 dated 28th January, 1986 extending the period of the Major Ports Reforms Committee, Government of India have decided to further extend the period by which the Committee will submit its report up to 30th November, 1986.

YOGENDRA NARAIN, Jt. Secy. (Ports)